भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1610

उत्तर देने की तारीख: 16.03.2022

लॉकडाउन के दौरान शिक्षा तक पहुंच

1610. **श्री मल्लिकार्जुन खरगे**:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वंचित तबकों से संबंधित कक्षा I से कक्षा VIII तक के छात्रों के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 8 प्रतिशत छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे थे और लगभग 37 प्रतिशत छात्रों ने पूरे महामारी काल के दौरान बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया था;

(ख) सरकार द्वारा ऑनलाइन अधिगम के लिए आवश्यक समुचित उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या शहरी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 14 प्रतिशत छात्रों ने बताया है कि उन्हें मध्याह्न भोजन के स्थान पर कोई मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है; और

(घ) घर पर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। हालांकि, देश के प्रत्येक छात्र की शिक्षा तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। स्कूल शिक्षा के संबंध में, सभी छात्रों की ऑनलाइन अधिगम की सुविधा हेतु आत्म निर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में 17 मई, 2020 को पीएम ईविद्या नामक एक व्यापक पहल की शुरूआत की गई है, जो शिक्षा तक बहुआयामी पहुंच को समर्थ बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। इस पहल में शामिल हैं:

- दीक्षा- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्कूल शिक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा: और सभी कक्षाओं (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए क्यूआर कोडित सक्रिय पाठ्यपुस्तकें
- कक्षा 1 से 12 तक प्रति कक्षा एक निर्धारित स्वयं प्रभा टीवी चैनल (एक कक्षा, एक चैनल)
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग- शिक्षा वाणी
- दृष्टिबाधित और श्रवण बाधितों के लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेज़ी) और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में विकसित विशेष ई-सामग्री

इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे कक्षा 1 से 12 को अधिगम समाधान प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया गया है और एनसीईआरटी द्वारा 'छात्र अधिगम संवर्धन दिशानिर्देश' तैयार किए गए हैं जो निम्नलिखित तीन प्रकार के परिदृश्यों के लिए मॉडल सुझाते हैं:

क) कोविड-19 के दौरान बिना डिजिटल उपकरणों वाले छात्रों का अधिगम संवर्धन;
ख) कोविड -19 के दौरान डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच वाले छात्रों का अधिगम संवर्धन; और
ग) कोविड -19 के दौरान डिजिटल उपकरणों वाले छात्रों का अधिगम संवर्धन।

साथ ही, विभिन्न माध्यमों के जरिए निरंतर शिक्षा को सुगम बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रज्ञता दिशानिर्देश जारी किए गए। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी परिस्थितियां शामिल हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या बहुत कम बैंडविड्थ के साथ उपलब्ध है वहां ऐसे संसाधनों को टेलीविजन, रेडियो आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों, जो इंटरनेट पर निर्भर नहीं हैं, के माध्यम से साझा किया जाता है।

जहां डिजिटल सुविधा (मोबाइल उपकरण/डीटीएच टेलीविजन) उपलब्ध नहीं है, वहां शिक्षा मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और सीबीएसई की शिक्षा वाणी नामक पॉडकास्ट, शिक्षार्थियों के आवास पर पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति, 21वीं सदी के कौशल पर हैंडबुक और सामुदायिक/मोहल्ला कक्षाओं के आयोजन जैसी कई पहल की हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मोबाइल स्कूल, वर्चुअल स्टूडियो, स्कूलों में वर्चुअल क्लास रूम स्थापित करने के लिए विभाग के इनोवेशन फंड का उपयोग किया जाता है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निरंतर अधिगम योजना (सीएलपी) की शुरूआत की गई है, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ऑनलाइन कक्षाएं संभव नहीं है वहां प्री-लोडेड टैबलेट का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है।

भारतनेट कार्यक्रम के तहत, मेयटी के सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) को स्कूलों सहित सरकारी संस्थानों को फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

(ग) और (घ): चूंकि कोविड महामारी के कारण स्कूल बंद थे, सभी नामांकित बच्चे खाद्यान्न और खाना पकाने की लागत सहित खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 2020-21 से खाना पकाने की लागत का लाभार्थी के बैंक खातों में /नकद भुगतान करने के साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराया है, जबकि कुछ अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने खाना पकाने की लागत के बराबर का खाद्यान्न और सूखा राशन जैसे दालों इत्यादि को उपलब्ध कराया है। इस अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत 11.20 लाख विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

******